177

क्रमांक 537
दिनांक 11/03/19

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा०11029-11/2015-केवीएस(प्रशासन०I)Vol-III

दिनांक : 08.03.2019

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2018 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष मे हस्तांतरित कर दी जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय खटीमा, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष मे दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है :-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	खटीमा, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड	C/o राजकीय इंटर कॉलेज, बन्डिया उधमसिंह नगर, उत्तराखंड

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2019-20 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा मे एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

(डॉ. शची कान्त)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
3. संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) केविसं के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण.) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. उपायुक्त, केविसं क्षे. का. देहारादून को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर केन्द्रीय विद्यालय को संचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय को भेजें।
8. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा), उत्तराखंड, देहारादून ।
9. जिला कलेक्टर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड को सूचनार्थ ।